न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 61/2021 (75 एलआरए)

मोहनलाल बनाम राजस्थान सरकार

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2020/00104)

मोहनलाल उम्र 45 वर्ष पिता शंकरलाल जाति लोढा निवासी मजरा टापरिया तहसील अकलेरा जिला झालावाड़

..... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ राजस्थान

..... रेस्पोंडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध आदेश तहसीलदार अकलेरा
दिनांक 03.11.2020 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 3584/2020

उपस्थित :

अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री कुलेन्द्र नागर

निर्णय

दिनांक 7/7/2021

1 यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार अकलेरा के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 3584/2020 में पारित आदेश दिनांक 03.11.2020 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।

2 अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अकलेरा के समक्ष धारा 91 राजस्थान भू–राजस्थान अधिनियम 1956 के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 3584/2020 पटवारी हल्का मोईकला की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ। प्रकरण दर्ज कर अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया जिसकी तामील स्वंय अप्रार्थीगण को करवाई गई प्राथीगण द्वारा निर्धारित दिनांक को उपस्थित होकर मोखिक रूप से उक्त आराजी पर कब्जा किया जाना स्वीकार किया । तद्उपरान्त दिनांक 03.11.2020 को निर्णय पारित किया कि बयान पटवारी के अनुसार अतिक्रमी श्री मोहनलाल पिता शंकरलाल जाति लोढा निवासी मजरा टापरिया तहसील अकलेरा

7/7/21

अति० कलक्टर झालावाड़
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

जिला झालावाड की आराजी ख0न0 110 किस्म चारागाह की 2.00 बीघा पर सम्वंत 2077 में नाजायज कब्जा कर फसल काश्त की है, अतिक्रमी का इससे पूर्व सम्वंत 2076 में भी नाजायज कब्जा था जिस पर से अतिक्रमी को बेदखल किया गया था अतिक्रमी द्वारा पुनः नाजायज कब्जा करने से पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा वार्षिक लगान 1 रूपये का 50 गुना अर्थात 50/– रूपये के आर्थिक दण्ड एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने के अपराध में भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2 माह (60 दिन) के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है। वारंट गिरफ्तारी थानाधिकारी भालता को भिजवाए गए। अपीलांट ने उक्त निर्णय से व्यथित होकर इस न्यायालय में अपील पेश की है। तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.11.20 को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता कुलेन्द्र नागर ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध संग्रहसार के विपरित होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नही है। अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी भूमि से अपना कब्जा काफी समय पूर्व ही हटा लिया गया है, आराजी भूमि खाली पड़ी हुई है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी पर कोई काश्त नही की है। फिर भी अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना में सम्पूर्ण जुर्माना राशि जमा करा दी है। अब भविष्य में उक्त विवादित आराजी पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नही किया जायेगा। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय का ज्ञान सर्वप्रथम उस समय हुआ जब पुलिस थाना भालता का सिपाही गिरफ्तारी वारन्ट की तामील हेतु आया। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से तुरन्त निर्णय की नकल प्राप्त की। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.11.2020 अपास्त किये जाने हेतु अनुरोध किया गया ।

5 उक्त अपील दर्ज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर बहस सुनी गई।

6 अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में पहला तर्क यह दिया है अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर भूल की गई है अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी मे नही आता है। किन्तु – अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी पर कब्जा किया था तथा उसमें फसल आदि भी बोई जिसकी पुष्टि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व बयान पटवारी से होती इसलिए अपीलान्ट के

27/7/21

अति० कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट

अधिवक्ता यह तर्क मानने योग्य नही है।

7 हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिचार भी अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में विवेचित पूर्व के निर्णय व बयान से होती है, किन्तु उसके द्वारा अब वादग्रस्त आराजी से कब्जा हटाने बाबत अपील में अंकित किया गया है तथा आरोपित शास्ति भी जमा राज कराई जा चुकी है साथ ही अपीलान्ट द्वारा कब्जा छोडने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। चूकि ग्रामीण क्षैत्र के काश्तकार होने से न्यायिक प्रकिया की जानकारी नही होने से अतिक्रमण कर लिया जाता है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आदेश मे दो माह का सिविल करावास कठोरतम सजा प्रतीत होती है। अतः परिणाम स्वरूप प्रकरण मे सहानुभूमि पूर्वक विचार रखते हुए अपील अपीलान्ट आंशिकरूप स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दो माह के सिविल कारावास के दण्ड को एक माह की सजा तक सीमित रखते हुए 1 माह की सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाता है निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनकी पत्रावली के साथ लोटाई जावे तथा इस न्यायालय की पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

27/7/21

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़ (राज०)

8 निर्णय आज दिनांक 27.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/7/21

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़ (राज०)